राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र

क्रमांकःएफ1(1)(32)/निमअ/स्था./2013/28235 जयपुर, दिनांकः24-12-14

आदेश

राज्य में महिलाओं एवं बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग के अन्तर्गत निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण तथा संरक्षण हेतु अनेक योजनाओ एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें द्वारा आई.सी.डी.एस. संबंधी कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

प्रायः देखने में आया है कि जिला स्तर पर पदस्थापित उप निदेशक, मबावि व कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता के मध्य परस्पर समन्वय के अभाव के फलस्वरूप विभाग की योजनाओं के संचालन एवं क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः आयुक्तालय महिला अधिकारिता के पत्र क्रमांक एफ 1(1)(32)मअ/स्था/2010/53647–79 दिनांक 19.11.12 के क्रम में निर्देशित किया जाता है किः–

1. उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन दोनो निदेशालयों द्वारा संपादित की जा रही गतिविधियों/योजनाओं के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के लिये जिला प्रभारी अधिकारी होगें।
2. कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन दोनो निदेशालयों द्वारा संपादित की जा रही गतिविधियों/योजनाओं के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिये सहायक जिला प्रभारी अधिकारी होगें।
3. ब्लॉक स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संपादित गतिविधियो/योजनाओं का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रचेता एवं महिला पर्यवेक्षक के माध्यम से संपादित किया जायेगा तथा ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/साथिन के माध्यम से संपादित करायी जायेगी।
4. विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाओं में दिये जाने वाले लक्ष्यों को अर्जित करने में प्रचेता, महिला पर्यवेक्षक एंव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/साथिन की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जायेगी।
5. विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन हेतु उपनिदेशक एवं कार्यक्रम अधिकारी को आवंटित किये गये निरीक्षण लक्ष्यों के अनुसार दोनो अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग की समस्त कार्यक्रमों/योजनाओं का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेगें। निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति दोनो निदेशालय को प्रेषित की जावेगी।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को भेजे जाने वाले प्रकरण एवं पत्रावलियां कार्यक्रम अधिकारी, मअ द्वारा उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाये के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।

7. जिले में दोनों निदेशालयों से संबंधित गतिविधियों के लिये पृथक–पृथक आहरण–वितरण अधिकारी पूर्व की भाँती रहेगें एवं अपने निदेशालय से संबंधित वित्तीय कार्यो के निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगें।

(गुरज्योत कौर)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांकःएफ1(1)(32)/निमअ/स्था./2013/38236-38535 जयपुर, दिनांकः24-12-14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. जिला कलेक्टर, समस्त।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता।
6. प्रभारी अधिकारी, समस्त, निदेशालय महिला अधिकारिता, जयपुर।
7. उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें/कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता, समस्त
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
9. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली

निदेशक
महिला अधिकारिता